



CNR No UPMH010024152026
न्यायालय सेशन न्यायाधीश, महाराजगंज
उपस्थित: अरविन्द मलिक, एच०जे०एस० आई०डी०यू०पी०1904

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-671/2026

लाल साहब पुत्र स्व० रामनयन उम्र करीब 44 वर्ष सा० तुर्कवलियां, थाना
पीपीगंज, जनपद गोरखपुर।

...आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०राज्य

...अभियोजन पक्ष

अपराध संख्या-0036/2026

धारा-105,115(2),352,3(5)बी०एन०एस०

थाना-सोनौली कोतवाली, जिला-महाराजगंज।

30-05-2026

निस्तारण प्रार्थनापत्र 3क

1- प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त लाल साहब की ओर से अपराध संख्या-0036/2026 धारा-105, 115(2), 352, 3(5) बी०एन०एस० थाना-सोनौली कोतवाली, जिला-महाराजगंज में जमानत हेतु संस्थित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरुद्ध है।

2- आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत शपथपत्र में यह कथन किया गया है कि उसका इस न्यायालय में यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है और उसका कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में न तो दाखिल है और न ही लम्बित है।

3- अभियोजन केस संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मनोज प्रजापति ने दिनांक 27-04-2026 को थाना सोनौली, जिला महाराजगंज में इस आशय का तहरीर दिया कि दिनांक 26/27-04-2026 की रात्रि को अपने छोटे भाई की शादी दीनानाथ प्रजापति निवासी ग्राम कैथवलिया उर्फ बरगदही, थाना सोनौली जनपद महाराजगंज की पुत्री के साथ हो रही थी। शादी में जयमाल के समय रात्रि 01:00 बजे वादी का छोटा भाई विनोद प्रजापति जयमाल स्टेज पर फोटो खींचने गया तो फोटो खींचने की बात को लेकर वादी के भाई विनोद को **शम्भू प्रसाद** पुत्र श्यामल निवासी ग्राम

कैथवलिया उर्फ बरगदही थाना सोनौली जनपद महाराजगंज, **लाल साहेब** पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम तुर्कवलिया थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर, **सुरेश प्रजापति** पुत्र छन्नू ग्राम बेलहिया राष्ट्र नेपाल एवं उसके अन्य साथी वादी के भाई विनोद को लाठी-डन्डा से हमलावर होकर मारने पीटने लगे जिससे वादी के भाई के सिर में गम्भीर चोट लग गयी। चोट लगने के कारण वादी का भाई विनोद मौके पर बेहोश होकर गिर गया, अनुरोध किया कि न्यायोचित कार्यवाही की जाये। वादी की सूचना पर थाना सोनौली, जिला महाराजगंज में दिनांक 27-04-2026 को समय 16:22 बजे अपराध सं०-0036/2026 अन्तर्गत धारा-110, 115(2) बी०एन०एस० अभियुक्तगण शम्भू प्रसाद, लाल साहेब एवं सुरेश प्रजापति के विरुद्ध दर्ज किया गया। दौरान विवेचना इस मामले में धारा-110 को विलोपित करते हुये धारा-105, 352, 3(5) बी०एन०एस० में मामले को परिवर्तित होना कहा गया है।

4- उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया तथा अभिलेखों का सम्यक अवलोकन किया।

5- आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है। उसने कोई जुर्म कारित नहीं किया है। उसे मात्र चन्द दुश्मनान की साजिश व प्रभाव में आकर वादी मुकदमा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दिया है। आवेदक शादी में अगुआ था वधू तथा वर पक्ष का रिस्ते में मामा है। अगुआ होने के कारण आवेदक को फर्जी तौर पर सम्पृक्त कर दिया गया है। आवेदक बारातियों के स्वागत में अपनी बहन के वहां गया था परन्तु जिस समय घटना घटित हुयी वह बारातियों व गांव के लोगों को खाना खिलाने में व्यस्त था। घटना, दोनो पक्षों की भीड़ द्वारा कारित किया गया था। घटना में किसको कौन चोट कारित किया, स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। आवेदक के कब्जे से कोई लाठी-डन्डा या अन्य वस्तु बरामद नहीं की गयी है, जो भी बरामदगी आवेदक के कब्जे से दिखायी गयी है, वह फर्जी एवं बनावटी है। तथाकथित घटना से आवेदक का कोई वास्ता-सरोकार नहीं रहा है। आवेदक तनहा एवं गरीब व्यक्ति है। जेल में रहने से उसके परिवार के समक्ष तमाम तरह की समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं तथा मुकदमें की पैरवी भी सही ढंग से नहीं हो पा रही है। बाद जमानत आवेदक के भागने की सम्भावना नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक जमानत देने के लिये तैयार है, अनुरोध किया कि आवेदक को जमानत बन्धपत्र पर रिहा किया जाये।

6- अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिल कर फोटो खींचवाने की बात को लेकर वादी के भाई के सिर में मारा पीटा गया जिससे वादी के भाई के सिर में गम्भीर चोट लग गयी और चोट लगने के कारण वादी का भाई विनोद मौके पर बेहोश होकर गिर गया। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित

अपराध गम्भीर प्रकृति का है, अनुरोध किया कि जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रारम्भ में धारा 110, 115(2) बी०एन०एस० में दर्ज होना और दौरान विवेचना इस मामले में धारा-110 बी०एन०एस० को विलोपित करते हुये धारा-105, 352, 3(5) बी०एन०एस० में मामले को परिवर्तित होना कहा गया है।

7- इस मामले में सहअभियुक्त शम्भू प्रसाद द्वारा 100 नम्बर पर फोन करके पुलिस को बुलाया जाना बताया गया है क्योंकि बाराती शराब पीकर आपस में मार कर रहे थे। मृतक विनोद प्रजापति को शराब के नशे में गिरना बताया गया है जिससे उसे हेड इंजरी आ गयी। वादी मुकदमा एवं विनोद आपस में सौतेले भाई हैं। पालिसी लेने के लिये रिपोर्ट दर्ज कराना बताया गया है। केस डायरी के अवलोकन से यह विदित है कि इस स्तर पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि सुरेश व शम्भू ने मृतक को मारा पीटा था। आवेदक/अभियुक्त से कोई चीज बरामद नहीं हुयी है। चोटहिल का समय से इलाज नहीं कराया गया। आवेदक/अभियुक्त शादी का बिचौलिया एवं लड़की का मामा है। आवेदक की ओर से अपने कथन के समर्थन में गांव के 29 लोगों के 29 शपथपत्र लगे हैं जिनके अनुसार कोई झगड़ा नहीं हुआ और न कोई मारपीट हुयी। विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र तैयार किया जा चुका है। अचानक झगड़ाजनित मामला होना कहा गया है। आवेदक अभियुक्त को एक माह से कारागार में बन्द होना बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

8- प्रकरण के उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

9- तदनुसार आवेदक/अभियुक्त लालसाहब का जमानत प्रार्थनापत्र **स्वीकार** किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 1,00,000/-रुपये (एक लाख रुपये) का निजी बन्धपत्र एवं समान राशि के दो जमानती संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर अवमुक्त किया जाए:-

1. यह कि आवेदक/अभियुक्त विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।
2. यह कि आवेदक/अभियुक्त, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के गवाहान को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा और न ही उनको किसी प्रकार की कोई धमकी आदि देगा।
3. आवेदक/अभियुक्त किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा और बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत देश छोड़कर नहीं जायेगा।

10— उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का आवेदक/अभियुक्त द्वारा उल्लंघन किये जाने पर उसका यह जमानत आदेश सम्बन्धित न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

दिनांक: 30-05-2026

(अरविन्द मलिक)
आई०डी०यू०पी० 1904
सेशन न्यायाधीश,
महाराजगंज।